

भारतीय मानक ब्यूरो
(केंद्रीय मुहर विभाग-1)

हमारा संदर्भ: सीएमडी-1/3:3

11 06 2026

विषय: वस्त्र मंत्रालय द्वारा 05 जून 2026 को रोप्स एंड कॉर्डेजस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश 2026 अधिसूचित किया गया है।

कृपया संलग्न परिपत्र पर विचार करें।

(शिव प्रसाद गुडे)
वैज्ञानिक-ई (सीएमडी-1)

प्रमुख (केंद्रीय मुहर विभाग -1)

बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से सभी संबंधित विभागों को प्रचालित

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(CENTRAL MARKS DEPARTMENT-I)

Our Ref: CMD-1/3:3

11 06 2026

Subject: Ministry of Textiles has Issued Ropes and Cordages (Quality Control) Amendment Order 2026 on 05 June 2026

Please consider attached circular.

Siva Prasad Gude
Scientist-E (CMD-I)

Head (CMD-I)

Circulated to all concerned departments through BIS Intranet

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(CENTRAL MARKS DEPARTMENT-I)

Our Ref: CMD-1/3:3

11 06 2026

Subject: Ministry of Textiles has Issued Ropes and Cordages (Quality Control) Amendment Order 2026 on 05 June 2026.

Ministry of Textiles has Issued Ropes and Cordages (Quality Control) Amendment Order 2026 on 05 June 2026, for extension of date of implementation.

The details are given below:

S. No.	Quality Control Order	Indian Standard	Product	Date of Implementation
7.	Ropes and Cordages (Quality Control) Amendment Order, 2026. S.O.2871 (E) Dated 05 June, 2026	IS 5175:2022	Fibre Ropes — Polypropylene Split Film, Monofilament And Multifilament (PP2) and Polypropylene High-Tenacity Multifilament (PP3) —3-, 4-, 8- and 12- Strand Ropes	05 June 2027

3. उपर्युक्त QCO की प्रतिलिपि इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं।
(The copy of above mentioned QCO is attached with this circular.)
4. उपर्युक्त QCO बीआईएस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी शा.का. प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उपरोक्त उत्पादों के लिए लंबित आवेदनों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय रूप से संसाधित किया जाए। एलपीपीडी/एलआरएमडी से अनुरोध है कि वे उक्त क्यूसीओ के तहत अधिसूचित उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(The above mentioned QCO is also available on BIS website. All BO Heads are requested to ensure that the applications pending for the above products are processed **proactively on priority for grant of licence**. LPPD/LRMD is requested to ensure the availability of labs for testing of products notified under said QCO.)

5. सभी ROs-BOs से अनुरोध है कि वे इस QCO का व्यापक प्रचार करने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करें तथा उद्योग को QCO के कार्यान्वयन के लिए तैयार करने में मदद करें।

(All ROs-BOs are also requested to organize awareness and capacity building programme to give wide publicity to this QCO and to help the industry to prepare itself for the implementation of the QCO.)

शिव प्रसाद गुडे / Siva Prasad Gude

वैज्ञानिक 'ई' / Scientist- 'E'

प्रमुख (केंद्रीय मुहर विभाग-1)

सभी संबंधितों को भेजा गया

(Circulated to all concerned)

प्रतिलिपि: ITSD को BIS इंटरनेट पर होस्ट करने के लिए

(Copy to: ITSD for hosting on BIS intranet)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273216
CG-DL-E-06062026-273216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2777]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

का.आ. 2871(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का मत है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, रोप्स एंड कॉर्डजेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है, नामतः:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-(1) इस आदेश को रोप्स एंड कॉर्डजेस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. रोप्स एंड कॉर्डजेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में, खंड 3 में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, नामतः:

"बशर्ते कि रोप्स एंड कॉर्डजेस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए यह आदेश रिसाइकल्ड प्लास्टिक अपशिष्ट से बनाए गए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा जोकि अनुसूची के कॉलम (2) में क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट है।"

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-3)]

मनीषा चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: — मुख्य आदेश, अर्थात् रोप्सएंड कॉर्डजेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या सां.आ. 4327(ई) दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 5th June, 2026

S.O. 2871(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to amend the Ropes and Cordages (Quality Control) Order, 2024, namely: —

1. Short title and Commencement. — (1) This Order may be called the Ropes and Cordages (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ropes and Cordages (Quality Control) Order, 2024, in clause 3, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that this Order shall not apply to goods or article, specified in column (2) of the Schedule against serial number 7, made out of recycled plastic waste for a period of twelve months from the date of publication of the Ropes and Cordages (Quality Control) Amendment Order, 2026.”.

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt3)]

MANISHA CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note: —The principal Order, namely, the Ropes and Cordages (Quality Control) Order, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 4327(E) dated 3rd October, 2024.